भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1886

(जिसका उत्तर सोमवार, 19 दिसंबर, 2022/28 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया गया)

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में लंबित मामले

1886. श्री विनोद कुमार सोनकरः

श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):

श्री भोला सिंहः

डॉ. सुकान्त मजूमदारः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) विगत चार वर्षों के दौरान दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भू-संपत्ति क्षेत्र की दिवालिया कंपनियों (आरईसी) के मामले में निवेशकों/मकान खरीदारों की चिंताओं का समाधान नहीं कर पाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि दिवाला प्रक्रियाओं में समय लगता है और इससे निवेशकों/मकान खरीदारों की समस्याओं के समाधान में विलंब होता है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में की गई अथवा की जाने वाली प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाई सहित इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आरईसी से संबंधित मुकदमों की त्वरित कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक एनसीएलटी और एनसीएलएटी की स्थापना करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा हजारों लंबित आवासीय परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से आरईसी/बिल्डरों के विवादों को हल करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क): भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) द्वारा प्रदान किए गए आँकडों के अनुसार, दिल्ली में भू-संपदा कार्यकलापों और निर्माण में लगे 344 कारपोरेट देनदारों (सीडी) को सितंबर, 2022 के अंत तक कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में शामिल कर लिया गया है। इनमें से, 181 सीआईआरपी बंद हो चुके हैं और 163 चालू हैं। बंद सीआईआरपी में से, 98 अपील पर या समीक्षा पर या निपटान पर बंद हुए हैं: 34 वापस ले लिए गए; और 20 मामले समाधान योजनाओं के अनुमोदन में समाप्त हुए हैं और 29 मामले समापन हेतु आदेश में समाप्त हुए।

जारी...2/-

(ख) और (ग): दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संहिता) में विभिन्न प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द बंद करने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इस संहिता में मकान खरीदारों को वित्तीय लेनदारों के रूप में मानने का प्रावधान किया गया है जिससे वे चूककर्ता कारपोरेट देनदारों के विरुद्ध संहिता की धारा 7 का उपयोग कर सकें और लेनदारों की समिति (सीओसी) में प्रतिनिधित्व कर सकें और एक प्राधिकृत प्रतिनिधित्व के द्वारा दिवाला समाधान प्रक्रिया में प्रभावी रूप से भाग ले सकें। इसके अतिरिक्त, सीआईआरपी को लागू करने के प्रावधानों के दुरूपयोग को रोकने के लिए संहिता में यह प्रावधान है कि जहाँ लेनदार एक वर्ग के हैं, वहाँ आवेदन, कम से कम 100 ऐसे लेनदारों या ऐसे वर्ग के लेनदारों की संख्या का 10 प्रतिशत, जो भी कम हों, द्वारा संयुक्त रूप से फाइल किया जाएगा।

एनसीएलटी को मामलों का समय पर निपटान करने में सक्षम बनाने के लिए, सरकार, सदस्यों की नियमित नियुक्ति और पर्याप्त भौतिक अवसंरचना के प्रावधान सहित, समय-समय पर सभी आवश्यक कदम उठा रही है। सरकार ने 2021 में एनसीएलटी में 20 नए सदस्यों की नियुक्ति की है, 2022 में 15 नए सदस्यों की नियुक्ति को अनुमोदित किया है और अन्य रिक्तियों के लिए प्रक्रिया शुरू की है।

(घ): ऐसा कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ङ): आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि मकान के खरीदारों के हितों की रक्षा करने और भू-संपदा क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संसद ने भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (आरईआरए) अधिनियमित किया है। इसके अतिरिक्त, रुकी हुई परियोजनाओं के घर खरीदारों को राहत देने के लिए, वहनीय और मध्यम आय आवास (स्वामी निवेश कोष) को पूरा करने के लिए उन रूकी हुई परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए जिनका निवल मूल्य सकारात्मक हैं और आरईआरए के तहत पंजीकृत हैं एक विशेष विंडो बनाई गई है। इनमें वे परियोजनाएं शामिल हैं जिन्हें गैर-निष्पादन परिसंपत्तियां (एनपीए) घोषित किया गया है या जिन पर दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के तहत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष कार्यवाही लंबित हैं।

******